झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (नीति)–17/2021 – 718

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

राँची, दिनांकः– 02.11.2021

विषयः– **राज्य में मध्याह्न भोजन की दयनिय स्थिति संबंधी News-18 बिहार, झारखण्ड में दिनांक–27.10.2021 प्रसारित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् संचालित होने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। विद्यार्थियों को विद्यालय तक लाने एवं उनके पोषण हेतु मध्याह्न भोजन योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना काल में संक्रमण के रोकथाम हेतु मध्याह्न भोजन बन्द है। इसके बदले सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक के छात्रों को प्रति दिन 100 ग्रा0 चावल तथा कक्षा–6 से कक्षा–8 तक के छात्रों को प्रति दिन 150 ग्रा0 चावल देने का प्रावधान है तथा दाल, सब्जी, तेल एवं मसाले के लिए Cooking Cost की राशि क्रमशः रू0 4.48 एवं रू0 6.67 प्रति दिन देने का प्रावधान है। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में माह सितम्बर–2020 से Cooking Cost एवं अण्डे या फल के बदले दिये जाने वाली राशि भी नहीं दी गई है। ऐसा होना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–5(1) क उल्लंघन है।

मध्याह्न भोजन नियमावली के नियम 9(1) के तहत् खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान है। तथा नियम 9(3) के तहत् जिम्मेदार पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई को प्रावधान है।

अतः प्रसारित समाचार के आलोक में आयोग यह जानना चाहता है कि माह सितम्बर–2020 से अब तक Cooking Cost की राशि एवं अण्डे या फल के बदले दिये जाने वाली की राशि का राज्य भर में भुगतान कि क्या स्थिति है। यदि यह व्यवस्था माह सितम्बर–2020 से बन्द है तो क्या मामले में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान की गई या नहीं? जिम्मेदार पदाधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई प्रारम्भ की गई अथवा नहीं? कृपया इस संदर्भ की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर आयोग को उपलब्ध कराई जाय।

विश्वासभाजन

02/11/2021

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0–(नीति) 17/2021 – 718

राँची, दिनांकः– 02.[illegible].2021

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राँची, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Anju Kumari\Letter box1.docx99